

न्यायालय नायब तहसीलदार ...श्रीलाल... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का श्रीलाल

बनाम

अप्रार्थी :- श्री श्रीवेङ्कल राधायम निवासी श्रीलाल अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व

अधिनियम 1956 राधायम श्रीलाल

प्रकरण संख्या 26 / 2018

निर्णय

दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का श्रीलाल ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2015 में सरहद नाखियाल के खसरा नम्बर 137 मी. किस्म बे.5 में रकबा 0.40 1/2 बीघा भूमि में नाख व डोला कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी श्रीलाल से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री श्रीलाल ने दिनांक 29.5.18 को उपस्थित होकर श्रीलाल प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उमलद्वय दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का भूजा श्रीलाल के खसरा नम्बर 137 किस्म बे.5 में रकबा 0.40 1/2 बीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमण भूमि पर किये गये अतिक्रमण जो मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमण रकबा 0.40 1/2 बीघा भूमि के 2.40 रुपये लगान का 50 गुणा 120.00 रुपये अक्षरे एकले बीस रुपये दत्तौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार श्रीलाल